संख्या-62/2018/5243/96-आयुष-2-2018-25(बी)/2018

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 सितम्बर, 2018

विषय- राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में सेमिनार हॉल का प्रारम्भिक आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-58/2018/2970/96-आयुष-2-2018-25(बी)/2018, दिनॉक 30.7.2018 जिसमें राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में सेमिनार हॉल के निर्माण हेतु रू0 115.41 लाख (रूपये एक करोड पन्द्रह लाख इक्तालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से सम्बन्धित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनॉक 30-7-2018 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में अंकित लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-05- नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में सेमिनार हाल का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के स्थान पर लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-09-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल-24-वृहद निर्माण कार्य पढा जायें।

3- उक्त शासनादेश दिनॉक 30-7-2018 इस सीमा तक संशोधित हुआ समझा जाए।

4- उक्त शासनादेश दिनॉक 30-7-2018 शेष यथावत रहेगा।

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-62/2018/5243(1)/96-आयुष-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।